



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-25012022-232870
CG-DL-E-25012022-232870

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 317]
No. 317]

नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी 24, 2022/माघ 4, 1943
NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 24, 2022/MAGHA 4, 1943

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 जनवरी, 2022

का.आ. 325(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 3 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस अधिसूचना के शासकीय राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से, सब-डिविशनल ऑफिस, गोंदिया (NH543) के कि.मी. 41.88 से 21.62 महाराष्ट्र राज्य के तक के पेव्ड शोल्डर के साथ दो लेन में उन्नयन हेतु उक्त अनुसूची के स्तम्भ (4), (5), (6) और (7) में क्रमशः उल्लिखित राज्य, जिलों, तालुकों और गांवों से सम्बन्धित उक्त अनुसूची के स्तम्भ (3) की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट भूमि के सम्बन्ध में अनुसूची के स्तम्भ (2) में उल्लिखित अधिकारियों को उक्त अधिनियम के अन्तर्गत सक्षम अधिकारियों के कृत्यों का निष्पादन करने के लिए एतद्वारा सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत करती है।

अनुसूची

महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-NH543 पर भूमि का अधिग्रहण।

क्रमिक संख्या	सक्षम प्राधिकारी	भूमि का विवरण	राज्य	जिले का नाम	तालुक का नाम	गांव का नाम
1	2	3	4	5	6	7
1	सबु डिविशनल ऑफिसर	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NH543 के	महाराष्ट्र	गोंदिया	गोंदिया	1 हालबीटोला
						2 अदासी

		कि.मी. 41.88 से 21.62 तक				3	तांडा
						4	फुलचुर (सीटी)
						5	खमारी
					आमगाव	1	दहेगांव
						2	मानेगांव
						3	ठाणाटोला
						4	ठाणा
						5	बोथली
						6	किंडगीपार
						7	गोरठा

[फा. सं. RW/NH-12014/73/2020-21/MAH(Z-4)]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th January, 2022

S.O. 325(E).—In exercise of powers conferred by clause (a) of section 3 of the National Highways Act, 1956(48 of 1956), the Central Government hereby authorizes the officers mentioned in column (2) of the Schedule annexed here to as the competent authorities to perform the functions of such authorities under the said Act with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in respect of the stretch of land specified in the corresponding entry in column (3) of the said Schedule relating to state, districts, taluk and villages mentioned in column (4), (5), (6) and (7) respectively of the said Schedule for upgradation to 2 laning with paved shoulders of Km. 41.88 to 21.62 of Sub-Divisional Office, Gondia (NH543) in the State of MAHARASHTRA.

SCHEDULE

Land acquisition on National Highway No. NH543 in the State of MAHARASHTRA.

Sl. No.	CALA	Stretch	State	District	Taluk/Mandal	Name of the Village
1	2	3	4	5	6	7
1	Sub-Divisional Officer	41.88KM. To 21.62KM.	MAHARASHTRA	GONDIA	Gondia	1Halbitola
						2Adashi
						3Tanda
						4Fulchur (CT)
						5Khamari
					Amgaon	1Dahegaon
						2Manegaon
						3Thanatola

						<table><tr><td>4</td><td>Thana</td></tr><tr><td>5</td><td>Bothali</td></tr><tr><td>6</td><td>Kindgipar</td></tr><tr><td>7</td><td>Gortha</td></tr></table>	4	Thana	5	Bothali	6	Kindgipar	7	Gortha
4	Thana													
5	Bothali													
6	Kindgipar													
7	Gortha													

[F. No. RW/NH-12014/73/2020-21/MAH(Z-4)]

RAJESH GUPTA, Director